न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :–श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः– 39 / 2023

प्रार्थीगणः:–

1. ढलाराम पुत्र मोहनराम जाति माली
2. दीपाराम पुत्र मोहनराम जाति माली
3. नेनाराम पुत्र मोहनराम जाति माली
4. महेन्द्र कुमार पुत्र मोहनराम जाति माली
5. केसीदेवी पत्नी सांवलाराम जाति माली
6. फुलीदेवी पत्नी दलाराम जाति माली
7. मोरकी पत्नी भोलाराम जाति माली
8. मोरोदेवी पत्नी गुलाबाराम जाति माली
9. सीकादेवी पत्नी पोकरराम
10. जाति माली निवासी धारण तहसील सिवाना जिला बालोतरा

–::बनाम::–

विप्रार्थीगणः:–

1. वागसिंह पुत्र सोनसिंह जाति राजपूत
2. मदनकंवर पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत
3. जीवराज पुत्र नगाराम जाति पुरोहित
4. दिपसिंह पुत्र बुधाराम जाति पुरोहित
5. पानीदेवी पत्नी नगाराम जाति पुरोहित
6. बगदेश कुमार पुत्र धनाराम जाति पुरोहित
7. बाबूसिंह पुत्र धनाराम जाति पुरोहित
8. भंवरसिंह पुत्र धनाराम जाति पुरोहित
9. रूगनाथसिंह पुत्र बुधाराम जाति पुरोहित
10. शैतानसिंह पुत्र धनाराम जाति पुरोहित
11. सकूदेवी पत्नी बुधाराम जाति पुरोहित
12. सतीया पत्नी पुखराज जाति पुरोहित
13. गोविन्द पुत्र जोगाराम जाति माली
14. चौथाराम पुत्र नरसाराम जाति माली
15. टीलाराम पुत्र नरसाराम जाति माली
16. तेजाराम पुत्र जगताराम जाति माली
17. दलीया पुत्र काना जाति माली
18. नवाराम पुत्र जगताराम जाति माली
19. पूंजाराम पुत्र नरसाराम जाति माली
20. भैराराम पुत्र जोगाराम जाति माली
21. भंवरी देवी पत्नी जोगाराम जाति माली
22. भीमा पुत्र काना जाति माली
23. मांगाराम पुत्र नरसाराम जाति माली
24. शंकर पुत्र काना जााति माली
25. हडमानाराम पुत्र जगताराम जाति माली
26. हाथी पुत्र काना जाति माली
27. हिमताराम पुत्र जगताराम जाति माली
28. अचला पुत्र उदा जाति माली
29. काला पुत्र उदा जाति माली
30. गौतम पुत्र बाबु जाति माली
31. रगाराम पुत्र बाबु जाति माली
32. राजूराम पुत्र बाबु जाति माली
33. छगनीदेवी पत्नी बाबू जाति माली

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.06.12 11:13:47 IST
Reason: SelfAttested

34. तुलछी पत्नी जवारा जाति माली
35. पुखराज पुत्र रामा जाति माली
36. मुकना पुत्र उद जाति माली
37. मोहन पुत्र रामा जाति माली
सभी निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
38. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मिठौडा
39. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पादरू
40. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांकः— 09.05.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 1093/680 रकबा 3.7717 हैक्टेयर ग्राम धारणा पटवार धारणा तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त खसरे की बदिशा दक्षिण पश्चिम सीमा से लगती विप्रार्थीगण सं. 1 से 37 की खातेदारी भूमि ख.स. 1094/680,1087/668,1090/1075,1092/1081 व 937/640 आई हुई है। प्रार्थीगण को अपने खेत से आवागमन हेतु, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थीगण सं. 1 से 37 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 37 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में [illegible] करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के एवज में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 37 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.06.12 11:13:47 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

वकील प्रार्थीगगण ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थीगण सं. 1 से 37 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की मौजा धारणा अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 1093/680 रकबा 3.7717 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण सं. 1 व 37 की खातेदारी भूमि ख.सं. 1094/680,1087/668,1090/1075,1092/1081 व 937/640 की बदिशा दक्षिण पश्चिम पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते में प्रस्तावित चौडाई 20 फीट (3 गट्टा) भूमि, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थीगण रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 37 को देने हेतु सहमत है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1093/680 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 37 के खेत खसरा संख्या 1096/938,1092/1081,1090/1075,1097/668,1094/680 जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदारो की संयुक्त खातेदारी भूमि में गै.मु. रास्ता दर्ज है उक्त प्रस्तावित रास्ते के खसरा संख्या 937/640 संयुक्त गै.मु.रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.06.12 11:13:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण वकील द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्यल्प होने के मद्देनजर प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण संख्या 1 से 37 के खसरा संख्या 1094/680, 1087/668, 1090/1075, 1092/1081 को किस्म गै.मु. रास्ते को राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

करते हुए व खसरा संख्या 937/640 मे से रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धारणा तहसील सिवाना की ख.सं. 1093/680 रकबा 3.7717 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण सं. 1 से 37 की खातेदारी भूमि खं.सं. 1096/938 लम्बाई 120 गट्टा चौडाई 2 गट्टा ,ख.स. 1092/1081 लम्बाई 110 गट्टा चौडाई 2 गट्टा ,ख.स. 1090/1075 लम्बाई 50 गट्टा चौडाई 2 गट्टा , ख.सं. 1087/668 लम्बाई 310 गट्टा चौडाई 2 गट्टा, ख.सं. 1094/680 लम्बाई 140 गट्टा चौडाई 2 गट्टा व ख.सं. 937/640 लम्बाई 25 गट्टा चौडाई 2 गट्टा में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग पीला से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में तहसीलदार सिवाना द्वारा रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2024/230 दिनांक 15.03.2024 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.06.12 11:13:47 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को [illegible] इजलास [illegible] सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

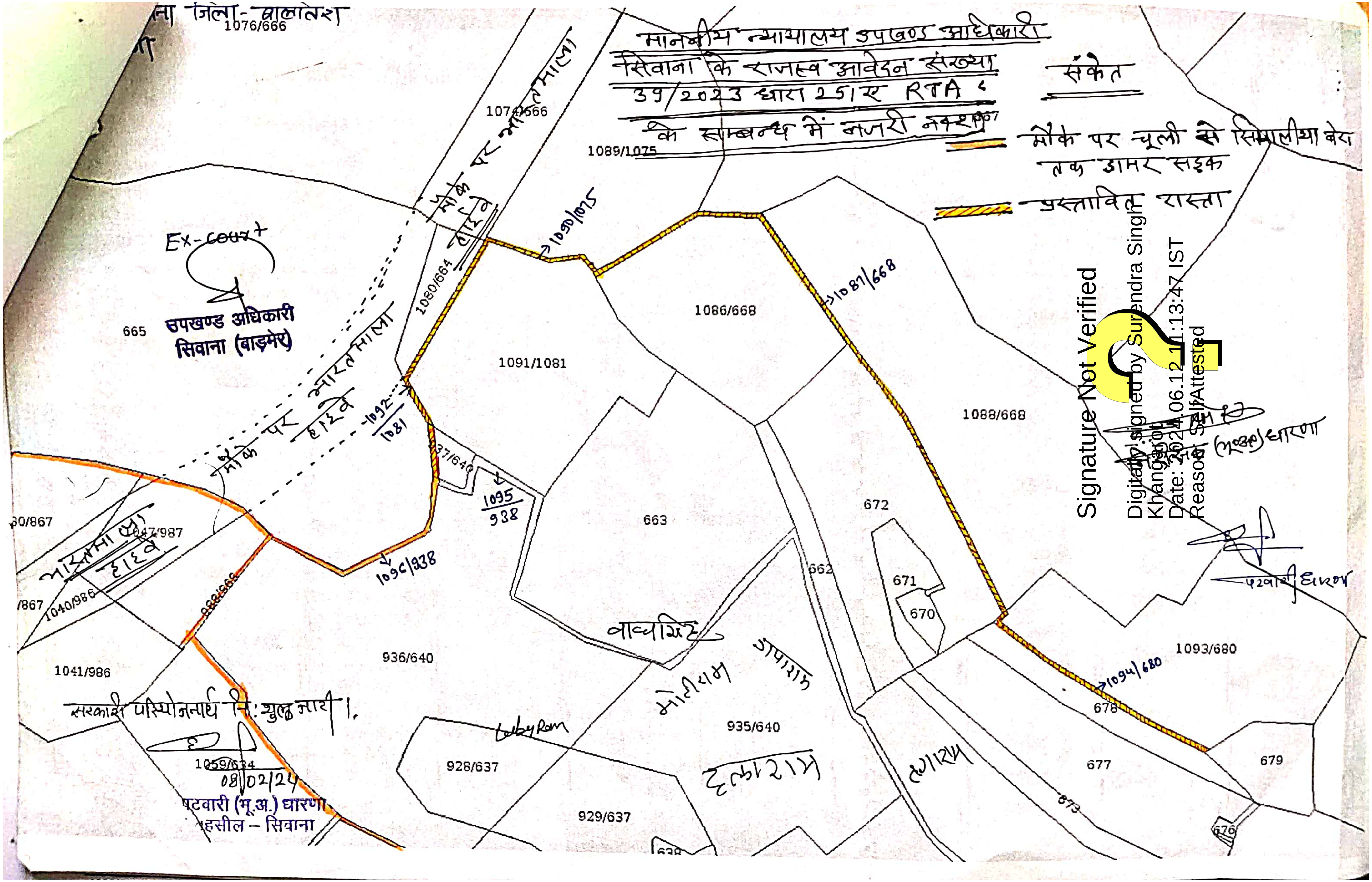

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.06.12 11:13:47 IST
Reason: SelfAttested